

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा (धौलपुर)
 कमांक/कोर्ट/23/5/
 तहसीलदार
 राजाखेडा

दिनांक:- 29/01/2024

विषय :- व मु0 उनवानी प्रकरण रामनिवास बनाम मुन्नालाल में स्थगन आदेश को हटाने बावत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि व मु0 उनवानी प्रकरण रामनिवास बनाम मुन्नालाल में इस न्यायालय के पत्रांक/कोर्ट/2022/1314 दिनांक 03.08.2022 के द्वारा विवादित आराजी ख0 नं0 1687/433, 433/1641 स्थित ग्राम कांटरपुरा तहसील राजाखेडा पर स्थगन जारी किया गया था। इस न्यायालय के द्वारा प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट लोक अदालत की भावना से सायल के अधिवक्ता द्वारा नोट-प्रेस की प्रार्थना पर खारिज किया जा चुका है। अतः आप इस न्यायालय के द्वारा जारी स्थगन आदेश को निरस्त फरवावें। यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो पालना की जावें।



LS
 उपखण्ड अधिकारी
 राजाखेडा

6/4/23

पत्रावली दिनांक

पत्रावली 11/5/23

पत्रावली मुख्यालय को पेश हो

11/5/23

पत्रावली पेश हुई अंगालपिठ कमिश्नरी हस्तार पर हो पत्रावली मुख्यालय दिनांक 24/8/23 को पेश हो

24/8/23

वकील उग्रम पर उग्रम अग्रणी 8 की ओर से Del vi say इन्वेस्टमेंट द्वारा कक्षा लेनका पेश किया परे शासिक पत्रावली किया जाता हो परचक प्राचीन पर है, उग्रम याहा पत्रावली दिनांक 9/10/23 को पेश हो

9.10.23

पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा. के राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल जारीय पेशी हो गई गत आदेश की पाठना में पत्रावली दिनांक 11/10/23 को पेश हो।

हस्ताक्षर

04/12/23

वकील उग्रम पर उग्रम अग्रणी पत्रावली मुख्यालय दिनांक 29/01/24 को पेश हो

Net Press

25.1.24

वकील उग्रम पर उग्रम अग्रणी ने पत्रावली को उग्रम अग्रणी के मध्य रखीना हो मुझ रूप वकील उग्रम पर उग्रम अग्रणी ने पत्रावली को पेश Net Press में रखीय फलजमा परे

वकील वकील को हुमा वकील वकील की प्रत्यक्ष

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुये

अनुदान वाली मा वेंद Net Proceed में
खाता किता जाता हो पत्रावली
केवल अनुमान होकर दाखिल
करना हो।

